न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 38/2022

आरसीएमएस नं. 2022/38

सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी रताखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। राजस्थान।

—अपीलार्थी

बनाम

विनोद कुमार वल्द महादेव प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं0 केसरीसिंहपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश दिनांक 14.02.2022
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी
उनवान विनोद कुमार बनाम सुखविन्द्र सिंह प्र. सं. 98/2020

उपस्थितिः—

श्री बलविन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3
श्री अनिल कुमार शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4

निर्णय दिनांक 16.8.22

1 प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 05.12.2021 को डिक्री पारित किया जाकर चिमनलाल के नाम से दर्ज चक 3 आर.के. प. नं. 217/278 किला नं. 1/0.164 किला नं. 7/1/0.025 है0 आराजी का अप्रार्थी को खातेदार दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की गई, जिसकी प्रार्थी विनोद कुमार ने राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। प्रकरण प्रतिप्रेषित होने के उपरान्त प्रार्थी विनोद कुमार ने धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना—पत्र पेश किया कि विवादित आराजी

राजस्व अपील प्राधकारी
हनुमानगढ़(राज०)

की डिक्री दिनांक 05.12.2021 निरस्त हो चुकी है। अप्रार्थी अपने नाम से नाजायज अंकन का फायदा उठाकने की गर्ज से विवादित आरजी को रहन बैय तथा अन्य किसी तरीके से खुर्द बुर्द कर सकता है। अतः दिनांक 05.12.2021 से पूर्व की स्थिति बहाल की जानी आवश्यक है। अतः पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलाण्ट के हितों पर गौर नही किया है। कानूनन 144 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र अपील की मियाद अवधि गुजरने के उपरान्त ही पेश किया जा सकता है। अपील की मियाद अविध माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सू मोटो रिट पीटिशन सिविल नम्बर 03/2020 के अनुसरण में दिनांक 08.03.2022 तक है तथा दिनांक 08.03.2022 से पूर्वधारा 144 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नही हो सकता है। कानूनन चिमनलाल पुत्र मूलचन्द ही धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी था परन्तु रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रसतुत प्रार्थना–पत्र पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी चक 3 आर.के. पत्थर नम्बर 217/278 किला नम्बर 1/.164, 7/1/.025 आराजी अपीलांट के आधिपत्य में चली आ रही है जो विचारण न्यायालय के समक्ष स्वीकृत स्थिति थी। रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट के धारण की आराजी में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में राजस्व रिकार्ड कृषि भूमि की सिंति परिवर्तित कर आराजी को अन्तरित कर दिया जाता है तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 05.12.2021 को डिक्री पारित किया जाकर चिमनलाल के नाम से दर्ज चक 3 आर.के. प. नं. 217/278 किला नं. 1/0.164 किला नं. 7/1/0.025 है0 आराजी का अप्रार्थी को खातेदार दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की गई। जिसकी प्रार्थी विनोद कुमार ने राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है। प्रकरण प्रतिप्रेषित होने के उपरान्त प्रार्थी विनोद कुमार ने धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया कि विवादित आरजी की डिक्री दिनांक 05.12.2021 निरस्त हो चुकी है। अप्रार्थी अपने नाम से नाजायज अंकन का फायदा उठाने की गर्ज से विवादित आराजी को रहन बैय तथा अन्य किसी तरीके से खुर्द बुर्द कर सकता है। अतः दिनांक 05.12.2021 से पूर्व की स्थिति बहाल की जानी आवश्यक है। ऐसे में विचारण न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

Lario

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़(राज०)

ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (26)2019 पेज 505 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 05.12.2021 को डिक्री पारित किया जाकर चिमनलाल के नाम से दर्ज चक 3 आर.के. प. नं. 217/278 किला नं. 1/0.164 किला नं. 7/1/0.025 है0 आराजी का अप्रार्थी को खातेदार दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की गई। जिसकी प्रार्थी विनोद कुमार ने राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है। प्रकरण प्रतिप्रेषित होने के उपरान्त प्रार्थी विनोद कुमार ने धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया कि विवादित आरजी की डिक्री दिनांक 05.12.2021 निरस्त हो चुकी है। अप्रार्थी अपने नाम से नाजायज अंकन का फायदा उठाकने की गर्ज से विवादित आरजी को रहन बैय तथा अन्य किसी तरीके से खुर्द बुर्द कर सकता है। अतः दिनांक 05.12.2021 से पूर्व की स्थिति बहाल की जानी आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया है। अपीलाण्ट ने अपील में मुख्य आपत्ति यह उठाई है कि कानूनन 144 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र अपील की मियाद अवधि गुजरने के उपरान्त ही पेश किया जा सकता है तथा कानूनन चिमललाल पुत्र मूलचन्द को ही धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी था रेस्पोडेण्ट को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। इन बिन्दूओं पर विचारण न्यायालय ने विवेचन नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7.उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2022 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि कानूनन 144 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र अपील की मियाद अवधि गुजरने के उपरान्त ही पेश किया जा सकता है अथवा नहीं तथा कानूनन चिमललाल पुत्र मूलचन्दको ही धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी था रेस्पोडेण्ट को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। इन बिन्दूओं पर उभयपक्ष के सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.8.22 .को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/8/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़(राज०)